डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-फ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 3/संसदीय कार्य विभाग/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क एवं 9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

) नियम 3 को विलोपित किया जाय और नया खण्ड 3 "अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सैट दिये जायेंगे जो उसे तथा उसके साथ चल रहे किसी व्यक्ति को भारत वर्ष के भीतर रेल द्वारा निःशुल्क 75,000 (पचहत्तर हजार रुपये) मूल्य के बराबर यात्रा का हकदार बनाते हैं" स्थापित किया जाये.

(2) नियम 4 (1) में उल्लेखित शब्द "मध्य रेल्वे, बम्बई" विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर "दक्षिण पूर्व रेल्वे, हावड़ा" स्थापित किया जाए.

(3) नियम 4 (2) में उल्लेखित शब्द "मध्य रेल्वे, बम्बई" विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर दक्षिण पूर्व रेल्वे, हावड़ा" स्थापित किया जाए.

(4) नियम 5 (1) में धन मूल्य कूपनों का जो वर्णन उल्लेखित है उसे विलोपित किया जाय एवं उसके स्थान पर निम्नानुसार :—

(1)	8 कूपन प्रत्येक 100 रुपये का	800.00
	12 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	600.00
	12 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
		रुपये 2000.00
(2)	8 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	400.00
	12 कूपन प्रत्येक 15 रुपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
		रुपये 1000.00
(3)	4 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	200.00
	8 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	200.00
	4 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	40.00
	8 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	40.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
		रुपये 500.00

स्थापित किया जाय.

(5) नियम 7 में प्रमाणपत्र का जो प्रारूप उल्लेखित है उसे विलोपित किया जाए और नया प्रारूप "मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कु. ....छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य/सदस्या हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर हेतु प्रतिवर्ष केवल रुपये 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार) मूल्य तक उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए तथा इनके साथ चलने वाले एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए रेल यात्रा कूपनों के बदले प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान द्वितीय श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी शयनयान के टिकट दिए जाएं".

सदस्य के हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा
मुहर.

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

(6) नियम 9 (1) (क) को विलोपित किया जाय एवं उसके स्थान पर "प्रत्येक सदस्य को एक समय में रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) धन मूल्य की कूपन पुस्तकें जारी की जायेगी" स्थापित किया जाय.

(7) नियम 9 (1) (ग) विलोपित किया जावे.

(8) नियम 11 (उप नियम एक, दो एवं तीन) विलोपित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 3/संसदीय कार्य विभाग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31 अगस्त, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

Raipur, the 31st August 2001

No. 3/Parliamentary Affairs Deptt./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 5-A and 9 (1) of the Chhattisgarh Vidhan Sabha, Vetan, Bhatta Tatha Pension, Act, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government for the Chhattisgarh State hereby amend the Chhattisgarh Lagislative Assembly Members (Free Transit by Railway) Rule, 1978, namely :—

AMENDMENT

In the above rule :—

(1) Rule 3 shall be omitted and new class-3 "Subject to the provisions of the Act and these rules, every members shall be provided by the Secretary with sets of coupon books, which shall entitle him and any person accompanying him

to travel within India by Rail value upto rupees Rs. 75,000/- (Rs. Seventy five thousnad)" shall be substituted.

(2) In the rule 4 (1) words "Central Railway Bombay" shall be omitted and "South Eastern Railway Howarah" shall be substituted.

(3) In the rule 4 (2) words "Central Railway Bombay" shall be omitted and "South Eastern Railway Howarah" shall be substituted.

(4) In the rule 5 (1) description of money value coupon books shall be omitted and following :—

(1)	8 Coupons of Rs. 100 each	Rs.	800.00
	12 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	600.00
	12 Coupons of Rs. 25 each	Rs.	300.00
	20 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	200.00
	16 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	80.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	2000.00
(2)	8 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	400.00
	12 Coupons of Rs. 15 each	Rs.	300.00
	20 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	200.00
	16 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	80.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	1000.00
(3)	4 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	200.00
	8 Coupons of 25 each	Rs.	200.00
	4 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	40.00
	8 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	40.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	500.00

Shall be substituted.

(5) Certificate explains in the rule 7 shall be omitted and following "I hereby certify that Shri/Shrimati/Kumari..is the member of the Chhattisgarh Legislative Assembly, and First Class/Air Condition, Sleeper, Second Class/Air Condition Sleeper three tier/Second Class Sleeper tickets may be issued in exchange of the rail travelling coupon for the journey to be under taken by him/her and for the journey under taken by one person accompanying him/her within the State of Chhattisgarh and outside the State of Chhattisgarh only to the extent of Rs. 75,000/- (Rs. Seventy five thousand) per year."

Signature of Member

Attested

Secretary to the
Chhattisgarh Legislative Assembly
Seal.

Secretary to the
Chhattisgarh Legislative Assembly

(6) Rule 9 (1) (a) shall be omitted and "Coupon book shall be issued at a time to member valued Rs. 10,000/- (Rs. ten thousand)" shall be substituted.

(7) Rule 9 (1) (b) shall be omitted.

(8) Rule 11 (1, 2, 3) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.